न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 69/2007 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2007/00029

उनवान

1. जगदीश पुत्र बिहारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मछरिया तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. रतन सिंह पुत्र रोशनलाल जाति जाटव निवासी ग्राम मछरिया तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

..... प्रत्यर्थी/वादी

2. श्यामसुन्दर उर्फ सुन्दर सिंह (मृत)
   2/1. गिर्राज किशोर
   2/2. राजेन्द्र प्रसाद
   2/3. वीरेन्द्र (फौत)
   2/4. नरेन्द्र
   2/5. मुकेश
   } पिस0 श्यामसुन्दर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मछरिया तहसील राजाखेडा।
3. ओमवती पत्नि दिनेश चन्द जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मछरिया तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा, जिला धौलपुर।

..... प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा दिनांक 21.04.2007 प्र0स0 126/04 उनवान रतन सिंह बनाम श्यामसुन्दर।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री किशन सिंह त्यागी उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री अश्विनी कुमार जैन उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 28.08.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय दिनांक 21.04.2007 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रैस्पो0 संख्या 01 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 व अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 409 रकवा 01 बीघा 02 विस्वा वाके ग्राम मछरिया तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर में स्थित है। जिसमें वादी असल रैस्पो0 संख्या 01, 2/22 भाग का खातेदार काश्तकार काबिज है। वादी असल रैस्पो0 संख्या 01 के

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कब्जे वाले भाग के उत्तर में आराजी लज्जाराम, दक्षिण में प्लाट रामदीन, पूर्व में खरंजा आम रास्ता पश्चिम में विवादित आराजी का शेष भाग है। वादी असल रैस्पो0 संख्या 01 अपने हिस्से की आराजी में पशु वगै0 बंधते हैं एवं घूरा आदि पडा हुआ है। उक्त भूखण्ड पर कब्जा भी प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 व अपीलाण्ट ने विक्रय पत्र के दिन ही दे दिया था। परन्तु क्रयशुदा भाग का विवरण विक्रय पत्र में लिखने से रह गया। उक्त गलती की आड में प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 व अपीलाण्ट, वादी/असल रैस्पो0 संख्या 01 को पूर्व में दिये कब्जे से इंकार कर रहे हैं एवं कब्जे से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर अपने हकूको की घोषणा कराकर अपना खाता पृथक कराने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.04.2007 से प्राथमिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 संख्या 01 का विवादित आराजी पर कब्जा मानने में विधि की भूल की है। अवैध हस्तांतरण से रैस्पो0 संख्या 01 को कोई लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रैस्पो0 संख्या 01 ने अपने दावे में सभी सहखातेदारो को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। उक्त तथ्य बाबत् अपीलाण्ट ने अपने जवाब दावा में भी कथन किया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य बाबत् कोई ध्यान नहीं दिया एंव ना ही तनकी बनायी। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि के बाबत् फौजदारी कार्यवाही के लम्बित रहने का प्रभाव वर्तमान वाद पर नहीं मानकर विधि की भूल की है। फर्जी वयनामा की एफआईआर की नकल पर विश्वास नहीं करने में चूक की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। बॅटवारे का दावा है। रैस्पो0 रिकार्डेड खातेदार हैं। एफआईआर, सिविल वाद सभी खारिज हो गये हैं। अपीलाधीन आदेश प्राथमिक डिक्री का है। विभाजन प्रस्ताव आने हैं। अपीलाण्ट को विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति का मौका मिलेगा। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2056–59 में रैस्पो0, अपीलाण्ट के साथ 2/22 हिस्से के सहखातेदार दर्ज अभिलेख हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी में रैस्पो0 का किसी विशिष्ट भू भाग पर कब्जा नहीं माना जाकर, विवादित आराजी में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अपीलाण्ट वयनामा को फर्जी बताते हैं। परन्तु उनके द्वारा उक्त वयनामा को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराने की कोई कार्यवाही की गयी हो। ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। रैस्पो0 विवादित आराजी के सहखातेदार हैं एवं उन्हें विवादित आराजी का बॅटवारा करने का पूर्ण अधिकार है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव आने शेष हैं। अपीलाण्ट के पास उक्त

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति करने का पूर्ण अवसर मिलेगा। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट में कोई बल नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.04.2007 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर